



महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय

(संसद द्वारा पारित अधिनियम 1997 क्रमांक 3 के अन्तर्गत स्थापित केंद्रीय विश्वविद्यालय)
Mahatma Gandhi Antarrashtriya Hindi Vishwavidyalaya
 (A Central University established by Parliament by Act No.3 of 1997)
NAAC Accreditation- "A" Grade

प्रो. कृष्ण कुमार सिंह

Prof. Krishna Kumar Singh

कार्यकारी कुलसचिव/ Acting Registrar

दूरभाष / Phone: +91-7152-251661

फैक्स / Fax: +91-7152-2309

पत्रांक : 61/2016/स्कू.बो./01/1011

तिथि : 05.10.2018

अधिसूचना

विश्वविद्यालय द्वारा पूर्व में जारी अधिसूचना क्र. 61/2016/स्कू.बो./01/417 दिनांक 01.11.2017 के तारतम्य में साहित्य विद्यापीठ के स्कूल-बोर्ड (School Board) का पुनर्गठन निम्नानुसार किया जाता है-

1.	प्रो. प्रीति सागर	: संकायाध्यक्ष, साहित्य विद्यापीठ	: अध्यक्ष
2.	प्रो. कृष्ण कुमार सिंह	: प्रोफेसर, हिंदी एवं तुलनात्मक साहित्य विभाग	: सदस्य
3.	प्रो. अखिलेश कुमार दुबे	: प्रोफेसर, हिंदी एवं तुलनात्मक साहित्य विभाग	: सदस्य
4.	प्रो. अवधेश कुमार	: प्रोफेसर, हिंदी एवं तुलनात्मक साहित्य विभाग	: सदस्य
5.	डॉ. ओमप्रकाश भारती	: विभागाध्यक्ष एवं एसोशिएट प्रोफेसर, प्रदर्शनकारी कला विभाग	: सदस्य
6.	डॉ. सुनील कुमार	: सहायक प्रोफेसर, हिंदी एवं तुलनात्मक साहित्य विभाग	: सदस्य
7.	डॉ. विधु खरे दास	: सहायक प्रोफेसर, प्रदर्शनकारी कला विभाग	: सदस्य
8.	डॉ. हिमांशु शेखर	: सहायक प्रोफेसर, उर्दू साहित्य विभाग	: सदस्य
9.	श्री लेखराम दन्नाना	: सहायक प्रोफेसर, संस्कृत साहित्य विभाग	: सदस्य
10.	सुश्री मैत्रेयी	: सहायक प्रोफेसर, अंग्रेजी साहित्य विभाग	: सदस्य
11.	डॉ. धर्मेन्द्र शंभरकर	: प्रभारी विभागाध्यक्ष, मराठी साहित्य विभाग	: सदस्य
12.	डॉ. अर्चना त्रिपाठी	: भूतपूर्व विद्यार्थी	: सदस्य
13.	प्रो. लालचंद राम	: एन.सी.ई.आर.टी., नई दिल्ली	: बाह्य विशेषज्ञ
14.	प्रो. गोपेश्वर सिंह	: हिंदी विभाग, दिल्ली विश्वविद्यालय, दिल्ली	

प्रो. गोपेश्वर सिंह का कार्यकाल अधिसूचना क्र. 61/2016/स्कू.बो./01/71 दिनांक 15.02.2017 के अनुसार 14.02.2019 तक होगा। अधिसूचना क्र. 61/2016/स्कू.बो./01/980 दिनांक 17.07.2017 के अनुसार डॉ. अर्चना त्रिपाठी का कार्यकाल दिनांक 17.07.2019 तक होगा। अधिसूचना क्र. 61/2016/स्कू.बो./01/417 दिनांक 01.11.2017 के अनुसार डॉ. सुनील कुमार एवं डॉ. विधु खरे दास का कार्यकाल 31.10.2019 तक होगा। इस अधिसूचना के अनुसार प्रो. लालचंद राम का कार्यकाल 04.10.2020 तक होगा।

यह अधिसूचना सक्षम अधिकारी के अनुमोदन से जारी की जाती है।

प्रति: सभी संबंधित को।

प्रतिलिपि:

1. कुलपति कार्यालय।
2. कुलसचिव कार्यालय।
3. संकायाध्यक्ष, साहित्य विद्यापीठ को संबंधित को सूचित करने के अनुरोध के साथ।
4. प्रभारी, लीला को विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर अपलोड करने के लिए।
5. कार्यालय प्रति।

(कृष्ण कुमार सिंह)